



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23042026-272009
CG-DL-E-23042026-272009

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1940]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 22, 2026/वैशाख 2, 1948

No. 1940]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 22, 2026/VAISAKHA 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2026

का.आ. 2013(अ)— केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, १९५६ (१९५६का ४८) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा ३क की उपधारा (१) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ.९९५(अ) तारीख २४/०२/२०२६ जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-२, खंड-३, उपखण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग ६१ SPUR कि.मी. १३+८८० से कि.मी. ६९+८२० जुन्नर -घोडेगाव-तळेघर सेक्शन बंकरफाटा-जुन्नर तळेघर रोड तक के भूखंड में निर्माण (चौडाकरण/पेव्ह शोल्डर सहित २-मेग / ४- लेन का बनाना, आदि) अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबध्द अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा ३ क की उपधारा (३)के अधीन का.आ.९९५(अ) तारीख २४/०२/२०२६ मे तारीख १०/०३/२०२६ को "विश्वदर्पण (मराठी)" और "इकॉनॉमिक टाइम्स(इंग्रेजी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकी सक्षम प्राधिकारी को धारा ३-ग के तहत दायर आपत्ती प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (१) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (२) के अनुसरण में, यह घोषणा करता है. कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले मे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ६१ SPUR कि.मी.१३+८८० से कि.मी.६९+८२० जुन्नर -घोडेगाव-तळेघर सेक्शन बंकरफाटा-जुन्नर तळेघर रोड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: पुणे		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: आंबेगाव					
गांव का नाम: राजेवाडी					
1	२५	निजी	शुष्क	0.19	पाराबाई दावजी किर्वे, हौसाबाई सखाराम चपटे, गंगूबाई नामदेव काठे, रखमाबाई दुलाजी साबळे, जनाबाई लक्ष्मन साबळे, तुळशीराम लक्ष्मन साबळे, एकनाथ लक्ष्मन साबळे, आशा नंदराज चपटे, सुरेखा भिकाजी पारधी, लक्ष्मीबाई जानकू साबळे, संतोष जानकू साबळे, सुशीला

					महादेव गवारी, सुनीता नामदेव गवारी, चंद्रभागा दत्तात्रय डामसे, निर्मला रामदास गाभाले, दिनेश जानकू साबळे, शारदा नितीन शेळके 25
2	२७ पे	निजी	शुष्क	0.0061	२७/१ गिरजू पांडू साबळे, जयराम तुळाजी साबळे, नामाबाई सीताराम साबळे, भास्कर सीताराम साबळे, विजय सीताराम साबळे २७/२ मारुती कुशाबा केंगले, दुन्दा कुशाबा केंगले, पारबाई तुकाराम भांगे, बाळु खेमा केंगले, लक्ष्मण खेमा केंगले, मीराबाई सखाराम बोकाडे, कांताबाई बाळू गेगजे, लताबाई रामा केंगले, अनुसयाबाई रामा केंगले, डागु कुष्णा केंगले, चिंधू कुष्णा केंगले, रानु कुष्णा केंगले, मोघा कुष्णा केंगले, शांताबाई वसंत दांगट, सुभद्रा मोहन साबळे, गणेश मोहन साबळे, सोमनाथ मोहन साबळे, बबाबाई मोहन साबळे, मंगल नितीन मिलखे, शंकर

					सखाराम केंगले, सीताराम दगडू आंबेकर, पार्वताबाई सखाराम मेचकर, सुमनबाई सोमा जठर, चुधाबाई धोंडीबा लोहकरे, मुक्ताबाई अनाजी मसळे 27 Pe
				Total	0.1961

[फा. सं. NH-15017/24/2024-P&M/3D2]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd April, 2026

S.O. 2013(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways number S.O.995(E) dated 24/02/2026, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (**widening 2-lane with paved shoulder etc.**), **maintenance, management and operation of National Highway 61 SPUR in the stretch of land Km 13+880 to Km 69+820 Junner-Ghodegaon–Taleghar Section of Bankarphata-Junnar Taleghar Road in the state of Maharashtra.**

And whereas the substance of the said notification **S.O.995(E) dated 24/02/2026, has been published in “Vishwadarpan(Marathi)” and “Economics Times(English)” Both Dated 10/03/2026;** under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling National Highway 61 SPUR within the stretch of land from Km. 13+880 to Km. 69+820 Junner-Ghodegaon–Taleghar Section of Bankarphata–Junnar Taleghar Road in the district Pune in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: PUNE		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Ambegaon					
Village: Rajewadi					
1	25	Private	Dry	0.19	Parabai Davaaji Kirve, Housabai Sakhaaram Chapte, Gangubai Namadev Kathe, Rakhmabai Dulaji Sable, Janabai Lakshman Sable, Tulsiram Lakshman Sable, Eknath Lakshman Sable, Asha Nandraj Chapte, Surekha Bhikaji Pardhi, Lakshmibai Janku Sable, Santosh Janku Sable, Sushila Mahadev Gvari, Sunita Namadev Gvari, Chandrabhaag Dattatray Damse, Nirmala Ramdas Gabhale, Dinesh Janku Sable, Sharda Nitin Shelke 25
2	27 Pe	Private	Dry	0.0061	27/1 Girju Pandu Sable, Jairam Tulaji Sable, Namabai Sitaram Sable, Bhaskar Sitaram Sable, Vijay Sitaram Sable, 27/2 Maruti Kushaba Kengle, Dunda Kushaba Kengle, Parabai Tukaram Bhange, Balu khema kengle, Laxman Khema Kengle, Meerabai Sakharam Bokade, Kantabai Balu Gegje, Latabai Rama Kengle, Anusyabai Rama Kengle, Dagu Krishna Kengle, Chindhu Krishna Kengle, Ranu Krishna Kengle, Mogha Krishna

					Kengle, Shantabai Vasant Dangt, Subhadra Mohan Sable, Ganesh Mohan Sable, Somnath Mohan Sable, Bababi Mohan Sable, Mangal Nitin Milkhe, Shankar Sakharam Kengle, Sitaram Dagdu Ambekar, Parvatabai Sakharam Mechkar, Sumanbai Soma Jathar, Chudhabai Dhondiba Lohkare, Muktabai Anaji Masale 27 Pe
Total				0.1961	

[F. No. NH-15017/24/2024-P&M/3D2]

SHAIKH AMINKHAN, Director